कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 863/63/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 20/05/2019

प्रति,

प्राचार्य,
कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट,
कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में वेतन–भत्तों के लिए राशि आवंटन की स्वीकृति।

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक/क.रू.ई./2019–20/07 दिनांक 08.04.19
2. आपका पत्र क्रमांक/क.रू.ई./2019–20/18 दिनांक 15.04.19
3. आपका पत्र क्रमांक/क.रू.ई./2019–20/10 दिनांक 09.04.19

––00––

1. संदर्भित पत्र क्रमांक–1द्वारा संस्थान में 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर चुकी डॉ. निर्मला सिंह, प्राध्यापक, गृह प्रबंध को उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 986/1611/2018/38–3 दिनांक 24.11.18 के परिपालन में 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निरंतर रखा गया है तथा लेख किया गया है कि डॉ. निर्मला सिंह को वेतन–भत्तों का भुगतान म.प्र.शासन के वेतन बजट से किया जावेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपर्युक्त के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि 62 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य कार्य करने वाले शैक्षणिक अमले के वेतन–भत्तों का भुगतान संबंधित संस्था/शासी निकाय द्वारा ही वहन किया जावेगा; शासन द्वारा नहीं। अतः आपका प्रस्ताव अमान्य किया जाता है तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. संदर्भित पत्र क्रमांक–2 द्वारा संस्थान की पूर्व प्राध्यापिका डॉ. श्रीमति इन्द्रा नंदा, एसोसिएट प्रोफेसर, विद्यावती मुकुंदीलाल कन्या महावि. गाजियाबाद को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने की अनुमति चाही है। इस संबंध में लेख है कि संस्थान में अनुदानित पदों पर, शासन से अनुमोदित नियुक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक संवर्ग को ही अनुदान स्वीकृत किया जाता है, पृथक से अनुदान स्वीकृत किया जाना अथवा शासकीय अनुदान से भुगतान की अनुमति दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः संस्था स्वंय के व्यय पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु स्वंय निर्णय ले सकती है।
3. विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–3 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 में वेतन भत्तों/छठवें वेतनमान के एरियर्स/संस्था के वरिष्ठ एंव बैकलॉग से नियुक्त प्राध्यापक वर्ग के वेतन–भत्तों का भुगतान करने हेतु कुल राशि **रूपये 47,40,500/– (रूपये सैंतालीस लाख, चालीस हजार, पांच सौ मात्र)** के बजट आवंटन के आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. संदर्भित पत्र क्रमांक–3 में ही छठवें वेतनमान के ऐरियर्स की पांचवी/अंतिम किश्त के भुगतान हेतु रूपये 27,75,374/– का आवंटन चाहा है। इस संबंध में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.01.19 के अनुपालन में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रेषित करें।
5. उक्त राशि का व्यय मांग संख्या 44–उच्च शिक्षा, 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, 104–गैर सरकारी कालेज और संस्थाओं को सहायता, 0250–कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट इन्दौर को अनुदान, सेगमेंट कोड–9999, 42–सहायक अनुदान, 002 संधारण अनुदान, (वेतन भत्ते मानदेय इत्यादि) आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. आवंटित अनुदान राशि से केवल शासन द्वारा स्वीकृत अनुमोदित एंव पूर्णकालिक पदों पर नियमानुसार कार्यरत् शिक्षकों एंव कर्मचारियों के वेतन भत्तों का ही भुगतान सुनिश्चित करें। यदि पूर्व में कोई अधिक भुगतान हुआ हो तो उसका समायोजन करना सुनिश्चित करें।
7. राशि का आहरण वल्लभ भवन, कोषालय, भोपाल के माध्यम से इस कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी डी.डी.ओ.कोड क्रमांक 0523802008 से किया जाकर संस्थान को किया जावेगा। आवंटित राशि उक्त डी.डी.ओ. कोड में कोषालय सर्वर पर अपलोड है।
8. स्वीकृत राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

निरंतर ......2......

9. उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र माह जून 2019 के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य एंव शासी निकाय की होगी।

<u>आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।</u>

20/5/2019
(घनश्याम सिंह)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांकः 864/63/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 20/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), म.प्र. ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. आहरण संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.कोड 0523802008) कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, कोषालय, भोपाल

   .... की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,उच्च शिक्षा, आई.टी.सेल।

20/5/2019
(घनश्याम सिंह)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश